संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/एम.आर./19/सेल–2/मान्यता/ 840   भोपाल, दिनॉक 22/07/2019

–:: आदेश ::–

राज्य के अंदर स्थित निजी चिकित्सालयों /संस्थाओं को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार/जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि हेतु दिनांक 11 जुलाई 2018 को आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि के प्रकरणों में उस वर्ष की आगामी दिनांक 30 जून या 31 दिसम्बर अवधि की मान्यता दी जायें। जिससे वर्ष में दो बार नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि के सभी प्रकरणों पर विचार हो सके।

शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार के हित को ध्यान में रखते हुये मान्यता सम्बन्धी बैठके त्रैमासिक (जुन, सितम्बर, दिसम्बर, मार्च) आयोजित की जायेगी।

<u>आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा निर्देशित</u>

19.7.19
(डॉ0 मोहन सिंह)
संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/एम.आर./19/सेल–2/मान्यता/   भोपाल, दिनॉक   /   /2019

प्रतिलिपि :– कृपया सुचनार्थ प्रेषित।

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सुचनार्थ।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन मध्यप्रदेश की ओर सुचनार्थ।
3. निज सचिव, आयुक्त, स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
4. निज सचिव, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश।
5. समस्त संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. संयुक्त संचालक (एम.आर.) स्थानीय कार्यालय।
7. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय, मध्यप्रदेश।
8. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
11. आदेश नस्ती।
12. प्रभारी, एम. आई. एस. स्थानीय कार्यालय, उक्त आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करें।

संचालक (एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश